राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 1(1)साप्र/2/2016 जयपुर दिनांक 30/12/2016

–: आदेश :–

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5 (1) (ए) के प्रावधानानुसार निम्नांकित को उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास (रिक्त होने के प्रत्याशा में) उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतत्द्वारा निःशुल्क आवंटित किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम माननीय मंत्री	राजकीय आवास संख्या **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)**
1	**श्री श्रीचन्द कृपलानी** माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सी–634 (नया नम्बर I/37) गांधीनगर, जयपुर।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आईडी संख्या 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
7. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1)विभाग।
8. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
10. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
13. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
19. अधीक्षक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
21. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
22. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,6) विभाग, जयपुर।
23. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. सहायक अभियंता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
26. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि.
28. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 30\12\2016

–: आदेश :–

श्री उमेश कुमार (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं अप्रवासी भारतीय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 26/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी (स्वतंत्र) राजकीय आवास संख्या 1/22, गांधीनगर, जयपुर **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)** राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम–27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्री उमेश कुमार (आईएएस), अति. मुख्य सचिव, उद्योग, राज. उपक्रम एवं अप्रवासी भारतीय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त /जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग/कोषाधिकारी, कोष कार्यलय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
12. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
13. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 30/12/2016

–: आदेश :–

श्री बीजू जार्ज (आईपीएस), महानिरीक्षक पुलिस, ऑपरेशन, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 19/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2027 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/ए/1, गांधीनगर (बहुमंजिला आवास), जयपुर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम चसे पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर ।
2. श्री बीजू जार्ज (आईपीएस), महानिरीक्षक पुलिस, ऑपरेशन, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
12. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
13. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 30/12/2016

–: आदेश :–

श्री हेमन्त प्रियदर्शी (आईपीएस), महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 11/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2025 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/ए/7 (बहुमंजिला आवास), गांधीनगर जयपुर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम वर्से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर ।
2. श्री हेमन्त प्रियदर्शी (आईपीएस) , महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
12. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
13. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 30\12\2016

–: आदेश :–

श्री भास्कर ए.सावंत (आईएएस), शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 15/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2029 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी (स्वतंत्र) राजकीय आवास संख्या डी–638, गांधीनगर, जयपुर **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)** राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त /जिला कलक्टर, जयपुर।
2. श्री भास्कर ए.सावंत (आईएएस), शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग/कोषाधिकारी, कोष कार्यलय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
13. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
14. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 30/12/2016

–: आदेश :–

श्री दिनेश एम.एन (आईपीएस). महानिरीक्षक पुलिस, एस.ओ.जी., जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 36/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2031 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या I/23, गांधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम चसे पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर ।
2. श्री दिनेश एम.एन. (आईपीएस) महानिरीक्षक पुलिस, एस.ओ.जी., जयपुर
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 16003920 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
12. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
13. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव